न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.) कैम्प कोर्ट रामगढ़

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)

दावा संख्या : 37ए/18 निर्णय दिनांक—21.06.2018

1. मकसूद भाटी पुत्र मोहम्मद हनीफ भाटी
2. शबाना भाटी पत्नि मकसूद भाटी समस्त जाति भाटी(मुस्लिम) निवासीगण वार्ड नम्बर 18 मोहल्ला बारह भाईयान, कस्बा रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. संतोष कुमार सर्राफ उम्र 58 साल पुत्र प्रहलादराम सर्राफ
2. सुशील कुमार उम्र 65 साल पुत्र सुखदेव सर्राफ समस्त जाति महाजन, निवासी कस्बा रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी

दावा बाबत उद्घोषणा

निर्णय

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की वाके कस्बा रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान की सीमा मे अवस्थित कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 448/7/1 व नया खसरा नम्बर 789, 799, 800 व 801 कुल रकबा 3.95 हैक्टेयर मे से रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। जिसका नामान्तकरण वादीगण के पक्ष मे हुआ था, जिसका नामान्तकरण संख्या 1956 दिनांकित 31.08.2006 है, जो वादीगण के नाम दर्ज हो गया । वादीगण ने उपरोक्त कृषि भूमि क्रय करने के दिन से अपना कब्जा स्थापित कर काश्त करते आ रहे है आज दिवस तक वादीगण का उक्त रकबा 1.97 हैक्टेयर का निरन्तर, निर्बाध व हर आम व खास की जानकारी मे शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दिनांक 01.12.2011 नामान्तकरण संख्या 2453 के द्वारा न्यायालय आदेश से प्रतिवादी संख्या 01 संतोष कुमार सर्राफ का रकबा 0.6805 हैक्टेयर के स्थान पर राजस्व कर्मचारी द्वारा रकबा 1.3605 हैक्टेयर अंकित किया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074—77 मे प्रतिवादी संख्या 02 सुशील कुमार सर्राफ का सम्पूर्ण हिस्सा विक्रीत किये जाने के बावजूद भी रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से दर्ज हो गई, जो कि पूर्णतया गलत है। सुशील कुमार सर्राफ का उक्त कृषि भूमि मे किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है तथा संतोष कुमार का केवल मात्र रकबा 0.6805 हैक्टेयर हिस्सा है, जिस पर ही प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। उक्त गलत अंकन से वादीगण का सम्मिलित रूप से हिस्सा रकबा 1.97 हैक्टेयर का खाता वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज नही है, जबकि वादीगण का उक्त कृषि भूमि क्रय करने के दिवस से आज तक अर्थात् करीब वादीगण का उक्त कृषि भूमि को सम्मिलित रूप से प्रतिवर्ष काश्त करते है तथा लूंग, पालडी, जांटी आदि बतौर मालिकाना हक अधिकार से छंगवाते व उपयोग उपभोग करते है। उक्त गलत अंकन से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मतभेद व मनभेद तथा तनाव उत्पन्न हो रहे है। दोनो पक्षकारान वर्तमान मे आपस मे राजीरजा है तथा पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस मे राजीनामा कर वादीगण का रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि उद्घोषित करवाने के लिये तैयार है। प्रतिवादीगण संख्या 01 संतोष सर्राफ अपने हिस्से को कम करवाकर रकबा 0.6805 हैक्टेयर करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 02 सुशील कुमार अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने के लिए तैयार है, पक्षकारान मे कोई भी दूरभी संधि नही है। अतः वादीगण का वाद उपरोक्तानूसार डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत.....

Scanned by CamScanner

पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रामगढ शेखावाटी मे पेश हुई। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने स्वंय उपस्थित अदालत होकर राजीनामा पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि वाके कस्बा रामगढ शेखावाटी की रोही मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 448/7/1 व नया नम्बर 789, 799, 800 व 801 कुल रकबा 3.95 हैक्टेयर मे से प्रतिवादी संख्या 02 सुशील कुमार पुत्र सुखदेव सर्राफ का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाया जावे, प्रतिवादी संख्या 01 संतोष कुमार सर्राफ पुत्र प्रहलादराम सर्राफ का वर्तमान हिस्सा 2721/7900 के स्थान पर रकबा 0.6805 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तथा वादीगण मकसूद भाटी पुत्र मोहम्मद हनीफ भाटी व शबाना बानो पत्नि मकसूद भाटी का सम्मिलित रूप से रकबा 1.97 हैक्टेयर के खातेदार, काश्तकार उद्घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण का खाता दर्ज किया जावे। अतः हमारा राजीनामा तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड मे उपरोक्तानुसार उद्घोषित कर हिस्सा व रकबा दर्ज किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः उक्त खाते मे उपरोक्तानुसार संशोधन किया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति नही है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री फरमाने की कृपा करें। मौके पर विवादित आराजी बाबत पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2058–61 के अनुसार मूल खातेदार(तात्कालीन) संतोष कुमार सर्राफ पुत्र प्रहलादराय सर्राफ रकबा 2.2800 हैक्टेयर तथा राजेन्द्र प्रसाद, सुशील कुमार पुत्रगण सुखदेव सर्राफ रकबा 1.29 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। तत्पश्चात बेंचान पत्र द्वारा राजेन्द्र प्रसाद, सुशील कुमार पुत्रगण सुखदेव रकबा 1.29 हैक्टेयर मे अपना सम्पूर्ण हिस्सा तथा संतोष कुमार सर्राफ ने अपना हिस्सा 2.2805 हैक्टेयर मे से रकबा 0.68 हैक्टेयर का बेचान प्रार्थी मकसूद भाटी पुत्र मोहम्मद हनीफ भाटी व शबाना बानो पत्नि मकसूद भाटी के पक्ष मे कर दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1956 द्वारा पालना की गई, जिसके फलस्वरूप नवीन प्रविष्टि मकसूद भाटी पुत्र मोहम्मद हनीफ, व शबाना बानो पत्नि मकसूद भाटी रकबा 1.97 हैक्टेयर संतोष कुमार सर्राफ पुत्र प्रहलादराय रकबा 1.6005 हैक्टेयश्र दर्ज रिकॉर्ड है अर्थात जमाबन्दी के अनुसार अक्त नामान्तकिरण संख्या 1956 के अमल दरामद के पश्चात राजेन्द्र प्रसाद व सुशील कुमार का हिस्सा शुन्य हो गया तथा संतोष कुमार सर्राफ का हिस्सा रकबा 1.6005 हैक्टेयर भूमि शेष रही, परन्तु उक्त नामान्तरकरण संख्या –1956 भू–प्रबन्धन विभाग की कार्यवाही के दौरान का है, परन्तु भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा कार्यवाही में उक्त नामान्तरकरण को शामिल/अमल नही किया गया, तत्पश्चात न्यायालय आदेश/डिक्री निर्णय अनुसार संतोष कुमार सर्राफ के हिस्से की भूमि में से रकबा 0.92 हैक्टेयर का खाता इस प्रकार उद्घोषित/आदेशित किया गया कि रामस्वरूप पुत्र सुल्तानाराम 0.42 हैक्टेयर, सत्यनारायण पुत्र मोतीराम प्रजापत 0.25 हैक्टेयर भींवसिंह पुत्र बद्रीसिंह 0.25 तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। चूंकि उक्त न्यायालय आदेश दिनांक 12.09.2011 की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या–2453 दिनांक 01.12.2011 दर्ज किया गया, जिसमें नामान्तरकरण की पुरानी प्रविष्ठि में संतोष कुमार का हिस्सा तात्कालिक रिकॉर्ड अनुसार 1.6005 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड था, के स्थान पर सहवन से रकबा 2.2805 हैक्टेयर अंकन कर नामान्तरकरण की नवीन प्रविष्ठियों का अमल किया गया, जिसके फलस्वरूप नवीन प्रविष्ठि के अंकन में उक्त आदेश (न्यायालय आदेश) में आदेशित रकबा 0.92 हैक्टेयर का अमल तो सही कर दिया गया, किन्तु संतोष कुमार सर्राफ का शेष रकबा 0.6805 हैक्टेयर दर्ज होना था, जिसके स्थान पर शेष रकबा 1.3605 हैक्टेयर का अंकन कर दिया गया, जो कि सहवन से गलत दर्ज ।

अतः उक्त राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या–644 के खसरा नम्बर 789, 794, 800, 801 कुल किता 4 कुल रकबा 3.

Scanned by CamScanner

95 हैक्टेयर में वर्तमान प्रविष्ठि संतोष कुमार सर्राफ पुत्र प्रहलादराय सर्राफ हिस्सा 2721/7900 तथा सुशील कुमार सर्राफ पुत्र सुखदेव सर्राफ हिस्सा 129/395 के स्थान पर मकसूद भाटी पुत्र मोहम्मद हनीफ भाटी हिस्सा 985/3950, जाति भाटी, सा. देह, शबाना बानो पत्नि मकसूद भाटी हिस्सा 985/3950, जाति भाटी सा. देह, संतोष कुमार सर्राफ पुत्र प्रहलादराय सर्राफ हिस्सा 6805/39500, जाति सर्राफ सा. देह खातेदार शुद्ध किया जाना उचित है।

वादीगण ने वाद के समर्थन मे दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77, नामान्तकरण संख्या 1956 दिनांकित 22.08.2006, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058–61, डिक्री दिनांकित 12.09.2011, नामान्तकरण संख्या 2453 दिनांक 25.11.2011. तथा स्वयं के पहचान पत्र आदि पेश किये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस मे वादीगण व प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाने का कथन किया। पत्रावाली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से वादीगण का वाद प्रमाणित होता है। इसलिए वाद वादीगण डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके कस्बा रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान की सीमा मे अवस्थित कृषि भूमि खाता संख्या 644 के पुराना खसरा नम्बर 448/7/1 व नया खसरा नम्बर 789, 799, 800 व 801 कुल रकबा 3.95 हैक्टेयर मे से वादीगण मकसूद भाटी पुत्र मोहम्मद हनीफ भाटी व शबाना बानो पत्नि मकसूद भाटी को सम्मिलित रूप से रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 संतोष कुमार सर्राफ पुत्र प्रहलादराय सर्राफ की वर्तमान खातेदारी निरस्त की जाकर उसे रकबा 0.6805 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता मे से प्रतिवादी संख्या 02 सुशील कुमार पुत्र सुखदेव सर्राफ का नाम हटाया जाता है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 02 सुशील कुमार पुत्र सुखदेव की वर्तमान खातेदारी निरस्त की जाती है। अन्य प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 कों खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी

Scanned by CamScanner